राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(1)नविवि/अलवर/2020 जयपुर, दिनांक 17 FEB 2020

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1959 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90–क की उपधारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के नियम 2 के खण्ड (II) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 31.05.12 के बिन्दु सं. 2 में उप सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के स्थान पर निम्नांकित सारणी के कॉलम संख्या (2) में वर्णित स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के लिए उसके सम्मुख कॉलम संख्या (3) में वर्णित अधिकारी को कृषि भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती हैः–

क्र.सं. (1)	स्थानीय प्राधिकारी का नाम (2)	अधिकारी का पद नाम (3)
1	नगर परिषद, भिवाड़ी	आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी

राज्यपाल की आज्ञा से,

7-2-20

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
7. भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भिवाडी।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन अविलम्ब राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में करावें तथा इसकी 200 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करावें।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्।
11. आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

Scanned by CamScanner